

निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या- ५५९-५१ /निदे०म०क० / प्रोबे० / प्रे०वि० / २०१९-२०,

लखनऊ : दिनांक : ०३ मई, २०१९

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेस (सी०पी०एस०) योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में संचालित १० बाल-गृहों में आवासित बच्चों के देख-रेख एवं संरक्षण कार्य के सशक्तिकरण और क्षमता संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु कोचिंग प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है, जिसके लिए ०२ अनुभवी कोच की आवश्यकता है।

उक्त कोचिंग प्रोग्राम का संचालन निम्नलिखित विषय विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाएगा :-

१. किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम २०१५
२. संस्थागत देख रेख एवं संरक्षण, संस्थागत मूल्यांकन एवं सहयोग एवं केस मैनेजमेन्ट कार्य आदि।
३. दत्तक ग्रहण तथा तत्सम्बन्धित विधिक कार्य।
४. प्रशासनिक एवं विधिक कार्य।

इस कार्यक्रम में लिए उपरोक्त विषयों पर कार्य कर रहे अनुभवी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम आमंत्रित हैं।

कृपया इच्छुक व्यक्ति अपनी विस्तृत आख्या विभागीय वेबसाईट www.mahilakalyan.up.nic.in में दिय गये प्रारूप में भरकर विभागीय ई-मेल आई०डी० directormahilakalyan@gmail.com पर दिनांक १५.०६.२०१९ तक उपलब्ध करायें।

Name of Individual	Concerned field of expertise (theme / themes)	Age (in Yrs)	Sex	Educational, Technical and Experiences Status					Address			Contact Details					
				Highest Educational Qualification	Brief of technical certificate on concerned theme, if any	Years of experience in concerned field	Brief of experience in concerned field	Languages known	Correspondence Address	Place / City	State	Mobile Number	Landline Number (if Any)	Email Id			